न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी जिला खैरथल तिजारा

पीठासीन अधिकारी – प्रीति सिंह (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 23 / 1383 / 2022

CIS Registration No. - **172/2014**

FIR No. - **477/2013 PS Bhiwadi Phase III**

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री अनिल कुमार पुत्र ब्रहमप्रकाश निवासी गुरावडा थाना रोहडाई जिला रेवाडी हरियाणा हाल किरायेदार मकान नंबर 5 / 649 यूआईटी कॉलोनी भिवाडी थाना भिवाडी फेस तृतीय
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	रमेश चंद पुत्र जयचंद निवासी मिलकपुर थाना भिवाडी।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मनीष वशिष्ठ

B

अपराध की दिनांक	
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	04.12.2013
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	23.01.2014
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	23.01.2014
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–
निर्णय दिनांक	07.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	07.07.2026

C

क्र. स.	अभियुक्त का नाम	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा– 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि

01	रमेश चंद	279, 304ए भा. दं.सं.	दोषमुक्त	संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त	—

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ– अभियोजन गवाहान–

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

ब– बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
—	—	—

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ– अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण

ब– बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
—	—	—

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी अनिल कुमार ने तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 04.12.2013 को समय करीब 02 बजे की बात है उसके पड़ोसी अशोक कुमार का लड़का ग्रीस जिसकी उम्र 03 साल है। जो अपने मकान 05/649 यूआईटी कॉलोनी में अपने घर के सामने खड़ा था। समय करीब 02 पीएम के लगभग आरजे 02 4ए 1780 का ड्राईवर बडी तेज गति व लापरवाही से चलाता आया व ग्रीस के टक्कर मारी जिससे ग्रीस के काफी चोट आयी व अस्पताल भिवाडी में उसकी मृत्यु हो गई.....इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस

थाना भिवाडी फेस तृतीय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 477/2013 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी के समक्ष पेश किया गया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात यह पत्रावली न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी से न्यायालय हाजा को अंतरित होकर प्राप्त होने पर पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज अधिवक्ता अभियुक्त सुनी जाकर अभियुक्त को आरोप अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. को आरोप बनना पाए जाने पर उपरोक्त आरोप मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने उपरोक्त आरोपों को सुन समझकर आरापों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए कोई भी साक्षी साक्ष्य हेतु पेश नहीं होने पर साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की जा सकी एवं अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से अभियोजन साक्ष्य बंद की गई।

4. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी तात्विक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आने से अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता लेखबद्ध नही किया गया व अभियुक्त ने मौखिक रूप से जाहिर किया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है वह निर्दोष है।

5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह अभिकथन किया गया कि अभियोजन मामले से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया जावे।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह अभिकथन किये हैं कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को झूठा संलिप्त किया गया है। अभियोजन की ओर से कोई भी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया है एवं ना ही प्रकरण का परिवादी व अनुसंधान अधिकारी परीक्षित हुआ है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। अंत में निवेदन किया कि अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में दोषमुक्त किया जावे।

7. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अवधार्य बिंदु इस प्रकार हैः—

01. " क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.12.2013 को समय करीब 02 बजे स्थान मकान 05/649 यूआईटी कॉलोनी भिवाडी में वाहन संख्या आरजे 02 4ए 1780 को उपेक्षापूर्वक तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए परिवादी के पड़ोसी के लड़के ग्रीस के टक्कर मारी जिससे परिवादी के पड़ोसी के लड़के की मृत्यु कारित हुई तथा मानव जीवन संकटापन्न हुआ?"

02. यदि हां तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जाए?

8. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का मूल्यांकन उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में करें तो स्थिति इस प्रकार परिलक्षित होती है कि परिवादी अनिल कुमार द्वारा इस प्रकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि दिनांक 04.122013 को समय करीब 02 बजे की बात है उसके पड़ोसी अशोक कुमार का लड़का ग्रीस जिसकी उम्र 03 साल है। जो अपने मकान 05/649 यूआईटी कॉलोनी में अपने घर के सामने खड़ा था। समय करीब 02 पीएम के लगभग आरजे 02 4ए 1780 का ड्राईवर बडी तेज गति व लापरवाही से चलाता आया व ग्रीस के टक्कर मारी जिससे ग्रीस के काफी चोट आयी व अस्पताल भिवाडी में उसकी मृत्यु हो गई।

9. हस्तगत मामले में अभियुक्त पर अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता का आरोप अधिरोपित किया गया है। परंतु उक्त आरोप के प्रमाणीकरण हेतु अभियोजन को यह सिद्ध करना है कि परिवादी के पड़ोसी के लड़के की मृत्यु वाहन संख्या आरजे 02 4ए 1780 के चालक द्वारा लोकमार्ग पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण चलाये जाने से हुई तथा वक्त घटना उक्त वाहन का चालक अभियुक्त रमेश था। उक्त तथ्य को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी परिवादी को न्यायालय के समक्ष पेश नही कर परीक्षित करवाया गया है। अभियुक्त द्वारा ही परिवादी के पड़ोसी के लड़के की उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाए जाने के कारण हुई हो। ऐसा कोई तथ्य भी पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है। पत्रावली वर्ष 2014 से साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर रही है। प्रकरण में शेष समस्त गवाहान को तलब किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा तामीलें जारी की गई। अभियोजन अधिकारी को भी गवाहान की

उपस्थिति अपने स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये बाबजूद गवाहान न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो पाये। न्यायालय द्वारा गवाहान को तलब किये जाने हेतु भरसक प्रयास किये गये। अंततः न्यायालय द्वारा उक्त शेष समस्त गवाहान की तलबी बंद कर दी गई। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के क्रम में पत्रावली पर लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं आयी है कि अभियुक्त द्वारा ही कथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाया जा रहा हो। ना ही यह प्रमाणित हुआ है कि कथित वाहन से ही दुर्घटना कारित हुई हो।

10. ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 04.12.2013 को समय करीब 02 बजे स्थान मकान 05/649 यूआईटी कॉलोनी भिवाडी वाहन संख्या आरजे 02 4ए 1780 को उपेक्षापूर्वक तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए परिवादी के पड़ोसी के लड़के ग्रीस के टक्कर मारी जिससे परिवादी के पड़ोसी के लड़के की मृत्यु कारित हुई तथा मानव जीवन संकटापन्न हुआ।

11. अतः अभियुक्त रमेश चंद पुत्र जयचंद निवासी मिलकपुर थाना भिवाडी को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में युक्तियुक्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

12. फलतः अभियुक्त रमेश चंद पुत्र जयचंद निवासी मिलकपुर थाना भिवाडी को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भादस में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घ ोषित किया जाता है।

13. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

14. अभियुक्त द्वारा भविष्य में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उपस्थिति बाबत प्रस्तुत 437ए दं.प्र.सं. के प्रस्तुत जमानत—मुचलके छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

15. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है जिसके सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

(प्रीति सिंह)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भिवाड़ी जिला खैरथल तिजारा

16. निर्णय आज दिनांक 07.07.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति सिंह)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भिवाड़ी जिला खैरथल तिजारा